न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 45/2024

आर.सी.एम.एस. न0: 2024/378 दर्ज दिनांक: 26.11.2024

1. दुर्गी देवी पत्नी बनवारी लाल
2. नन्दलाल पुत्र बनवारी लाल
3. रामावतार पुत्र बनवारी लाल
4. रामनिवास गुर्जर पुत्र बनवारी लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासीगण ककराना तह. उदयपुरवाटी

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः– 12.05.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना के वर्तमान भूमि ख.नं. 733 रकबा 6.52 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी नं. 1 का हिस्सा 7/2 तथा प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 का प्रत्येक का हिस्सा 5/36 है। इस प्रकार प्रार्थीगण अकेले के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि क्रय की थी प्रार्थी ग्राम जसरापुर तह. खेतड़ी के निवासी थे परन्तु क्रय करने के रोज से ही ग्राम ककराना तह. उदयपुरवाटी में स्थायी निवासी है तथा समस्त दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पता में ग्राम ककराना तह. उदयपुरवाटी ही अंकित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 1 दुर्गी देवी पत्नी बनवारी लाल के बजाय दुर्गा पत्नी बनवारी लाल गलत दर्ज है तथा प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 की वल्दीयत/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बनवारी दर्ज है जबकि प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के पिता का वास्तविक नाम बनवारी लाल है। प्रार्थी सं. 1 के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भामाशाह, बैंक पासबुक, जनआधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि दस्तावेजों में पिता का नाम बनवारी लाल अंकित है इस प्रकार प्रार्थी सं. 1 राजस्व रिकार्ड में दुर्गा पत्नी बनवारी लाल के बजाय दुर्गी देवी पत्नी बनवारी लाल तथा प्रार्थी 2 लगायत 3 के वल्दीयत/पिता का नाम बनवारी के बजाय बनवारी लाल तथा प्रार्थी सं. 4 के वल्दीयत/पिता का नाम बनवारी की बजाय बनवारी लाल गुर्जर तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सा. जसरापुर तह. खेतड़ी खातेदार के बजाय सा. ककराना खातेदार शुद्ध व दुरूस्त करवाना चाहते है। इस बाबत् प्रार्थना–पत्र शुद्धि का पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/863 दिनांक 16.04.2025 से तथ्यात्मक जांच प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित व न्यायोचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना के वर्तमान भूमि ख.नं. 733 रकबा 6.52 हैक्टर भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी नं. 1 का हिस्सा 7/2 तथा प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 का प्रत्येक का हिस्सा 5/36 है। इस प्रकार प्रार्थीगण अकेले के

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

ी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि क्रय की थी प्रार्थी ग्राम जसरापुर तह. खेतड़ी के
न्तु क्रय करने के रोज से ही ग्राम ककराना तह. उदयपुरवाटी में स्थायी निवासी है तथा
ेजों में प्रार्थीगण के पता में ग्राम ककराना तह. उदयपुरवाटी ही अंकित है। राजस्व रिकार्ड में
1 दुर्गी देवी पत्नी बनवारी लाल के बजाय दुर्गा पत्नी बनवारी लाल गलत दर्ज है तथा प्रार्थी सं. 2
4 की वल्दीयत/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बनवारी दर्ज है जबकि प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 के
का वास्तविक नाम बनवारी लाल है। प्रार्थी सं. 1 के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भामाशाह, बैंक
ासबुक, जनआधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि दस्तावेजों में पिता का नाम बनवारी लाल अंकित है
इस प्रकार प्रार्थी सं. 1 राजस्व रिकार्ड में दुर्गा पत्नी बनवारी लाल के बजाय दुर्गी देवी पत्नी बनवारी लाल तथा प्रार्थी 2 लगायत 3 के वल्दीयत/पिता का नाम बनवारी के बजाय बनवारी लाल तथा प्रार्थी सं. 4 के वल्दीयत/पिता का नाम बनवारी की बजाय बनवारी लाल गुर्जर तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सा. जसरापुर तह. खेतड़ी खातेदार के बजाय सा. ककराना खातेदार शुद्ध व दुरूस्त करवाना चाहते है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना के वर्तमान भूमि ख.नं. 733 रकबा 6.52 हैक्टर भूमि में प्रार्थी सं. 1 राजस्व रिकार्ड में दुर्गा पत्नी बनवारी लाल के बजाय दुर्गी देवी पत्नी बनवारी लाल तथा प्रार्थी 2 लगायत 3 के वल्दीयत/पिता का नाम बनवारी के बजाय बनवारी लाल तथा प्रार्थी सं. 4 के वल्दीयत/पिता का नाम बनवारी की बजाय बनवारी लाल गुर्जर तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सा. जसरापुर तह. खेतड़ी खातेदार के बजाय सा. ककराना खातेदार शुद्ध व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

नोटः— उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा यूको बैंक गुढ़ागोड़जी में रहन दर्ज है। अतः उक्त निर्णय के अन्तर्गत प्रार्थी सं. 1 के नाम दुरूस्ती की पालना बैंक ऋण जमा होने अर्थात् रहनमुक्त होने के बाद ही की जावे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी